



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102021-230535
CG-DL-E-19102021-230535

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3972]
No. 3972]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 18, 2021/आश्विन 26, 1943
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 2021/ASVINA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4321(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इस में इस के पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के पुनः संरेखित भाग, 15.700 कि. मी. से 50.500 कि. मी. तक के भूखण्ड (गुण्डुगोलनु – कोव्वुरु सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने / चार - छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मण्डल अधिकारी, एलूरु को लिखित रूप में किया जाएगा और उस में उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेप कर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आनेवाली भूमि के भू रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के चैनेज कि.मी. 15.700 से कि.मी. 50.500 गुंडुगोलनु - कोव्वुरु सेक्शन तक भूमि के लिय अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: पश्चिम गोदावरी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: नॉलाजेरला					
गांव का नाम: दुबचेरला					
1	762/2A2	निजी	ड्राई	202.0000000(वर्ग मीटर)	0.0202000
2	762/2A3	निजी	ड्राई	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
गांव का नाम: नॉलाजेरला					
1	1105/2A	निजी	ड्राई	121.0000000(वर्ग मीटर)	0.0121000
2	1106/1B1	निजी	ड्राई	242.0000000(वर्ग मीटर)	0.0242000
3	1106/2B1	निजी	ड्राई	242.0000000(वर्ग मीटर)	0.0242000
4	1112/2A	निजी	ड्राई	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
कुल				969.0000	0.0969

[फा. सं. NHAI/PIU-RJY/LA-3(a)/2016-17/18911/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2021

S.O. 4321(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four-six laning, etc.), maintenance, management and operation of realigned portion of National Highway No. 16, in the stretch of land from Km.15.700 to Km. 50.500 (Gundugolanu - Kovvuru section) in the district of West Godavari in the State of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority namely, the Revenue Divisional Officer, Eluru in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 15.700 to km 50.500 (Gundugolanu - Kovvuru Section) of National Highway No.16 in the State of Andhra Pradesh

State: ANDHRA PRADESH		District: WEST GODAVARI			
S.No	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Nallajerla					
Village: Dubacherla					
1	762/2A2	Private	Dry	202.0000000(Square Meter)	0.0202000
2	762/2A3	Private	Dry	81.0000000(Square Meter)	0.0081000
Village: Nallajerla					
1	1105/2A	Private	Dry	121.0000000(Square Meter)	0.0121000
2	1106/1B1	Private	Dry	242.0000000(Square Meter)	0.0242000
3	1106/2B1	Private	Dry	242.0000000(Square Meter)	0.0242000
4	1112/2A	Private	Dry	81.0000000(Square Meter)	0.0081000
Total				969.0000	0.0969

[F. No. NHAI/PIU-RJY/LA-3(a)/2016-17/18911/3A]

c